



Shivani\_Da...

paper-6

1(4) महिला धरैलू हिंसा व अशक्तिकरण

ऐसा कार्य जो किसी महिला अथवा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, आर्थिक हित को क्षति पहुँचाए धरैलू हिंसा कहलाता है।

कानून के अनुच्छेद धरैलू हिंसा में हिंसा व अशक्तिकरण आते हैं।

जैसे - शारीरिक दुरुपयोग

- लैंगिक शोषण

- भावनात्मक व शक्तिहीन हिंसा

- आर्थिक हिंसा

भारत में धरैलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत धरैलू हिंसा से पीड़ित को सुरक्षित किया गया है।

उदाहरण - महिला की सामाजिक एवं पारिवारिक प्रतिष्ठा को आहत करना

यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट के अनुसार लगभग दो-तिहाई भारतीय महिलाएँ धरैलू हिंसा की शिकार हैं। इनमें से 40 प्रतिशत विवाहित महिलाएँ पिटाई, तलाक़ या उत्तरदायित्व शोषण का शिकार हैं।

इसका प्रमुख कारण वैदिक अनुशासन से चली आ रही हमारी रीतियों में लिखित गई बातों से कि महिलाएँ, पुरुषों के सामने शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं।

- वहेज कुप्रथा, बहस, यौन संबंध से इंकार, स्वादिष्ट खाना न बनाना भी इसके प्रमुख कारण हैं।

धरैलू हिंसा के एक तबल से घर के अन्य सदस्यों में और स्वामिकर जिस पर अत्याचार होता है, उनके मन के भीतर एक डर फैल जाता है। उनकी सोच में नकारात्मकता होती ही जाती है। और मुख्यतः हमें अपनी जीवन की पटरी को तानने में उन्हें आत्मोत्साह मिलता है।

अबसे बुरा पहलू यह है कि पीड़ित व्यक्ति मानसिक

आघात से वापस नहीं आ पाता है। ऐसे मामलों में  
अक्सर लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं।  
वास्तविक नकारात्मक व्यवहार आसता है और वे प्रच-  
दहल, चुप-चुप रहने वाली एव परेशानियों से दूर रहने  
वाली बन जाती हैं।

बालक अपने पिता से गरिमा व आत्मिक व्यवहार आसते  
हैं। और वे अपने अकल, कौल, शैल, गदान एव कमलार  
वच्छा को इसका प्रदर्शन करते हैं।

इसका असर मासिक पर भी पड़ता है और इसके  
कुछ भाग सिकुड़ जाते हैं। जिससे उनकी शैल, आत्मिक लमता,  
सौखिन की लमता और शैल, आत्मिक नियामन की शक्ति  
प्रभावित होती है।

अतः दख देने वाली बात यह होती है कि जिन लोगों  
पर हम आरोप करते हैं, जिनके साथ रहते हैं, एत इन्हें  
अनसे हम ऐसा व्यवहार प्राप्त होता है तो व्यवित का  
रिश्ता से विश्वास उठ जाता है और वे खुद की अतः  
अलग और अकेला कर लेता है।

इससे बचाव के लिए हमें धैर्य हिंसक के मानसिक  
विकार को समझने की आवश्यकता है।

हमें पुरुषों के मानसिकता का और से अध्ययन करना होगा  
और उन्हें समाधान का विश्वास बनाना पड़ेगा।

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2019 के पश्चात हमें नीति  
निर्माताओं को धैर्य हिंसा से उतरने हेतु पेशेवर मानसिक  
स्वास्थ्य सेवाओं का लक्ष्य उपलब्ध कराने का तंत्र विकसित  
करने की आवश्यकता है।

सरकार ने महिलाओं के धैर्य हिंसा से संरक्षण देने  
के लिए धैर्य हिंसा अधिनियम, 2005 पारित किया है।  
पीड़ित वृद्ध महिला हैं जिसके प्रति रिश्तेदारों ने  
दुर्वर्ती व्यवहार करे हैं।

सरकार ने वन स्टाप सेंटर, गौरी मिशन  
जैसी योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। इसके

अंतराष्ट्रीय महिलाओं के लिए चिकित्सीय, कानूनी अथवा मनोवैज्ञानिक सेवाओं को एकीकृत खपट को सुगम और सुनिश्चित करना है।

महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए - लड़के रन्तार नहीं - वॉज इंडिया - प्रेकथू - वैश्विक मानवाधिकार संगठन  
↳ वेब वेजाडी अभियान चलाया

महेश प्रदेश सरकार द्वारा हिंसा के विरोध में अखिल भारतीय चला रही है।

परंतु सबसे उपयोगी प्रयत्न समाज के कूटप्रथा से बाहर आने के लिए है महिला सशक्तिकरण

पुरानी मानसिकता के अनुसार महिलाएँ कमजोर हैं और इसलिए उन्हें केवल घर - गृहस्था ही संभालनी चाहिए इसे ही बदलने की स्वैच्छी सर्वोपरि आवश्यकता है।

महिला सशक्तिकरण में तात्पर्य है कि महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से पुरुषों के समान अधिकार दिलाना।

सबसे प्रथम हमें शिक्षा पर प्रबल जोर देने की आवश्यकता है। अगर महिलाएँ शिक्षित होगी तभी वे न केवल खुदका या अपने परिवार का आपित्त सार संसार की गरिमा का प्रतिष्ठान कर पाएंगी। एक शिक्षित महिला के पास सारे विकल्प खुले रहते हैं और एक अशिक्षित केवल खेती एवं सिद्धांत ही कर सकती है।

सरकार ने स्वयं सहायता समूह के निर्माण पर काफी ध्यान दिया है, इससे महिलाओं के सह स्वयं सहायता समूह का बल आधिकार हुआ है और गाँवों में स्वयंसेवक यह समूह एक निश्चित धान-राशी इकट्ठा करती है और बैंक से औपचारिक कर्ज लेकर छोटे उद्योग का निर्माण कर आय का साधन खुद बनाती हैं और यह महिला सशक्तिकरण का एक रूप मात्र है।

आज महिलाएँ किस पैमाने में आगे बढ़ चुकी

है इसका उदाहरण हमें विश्व व्यापार संगठन की प्रमुख  
नागोमी ओकाइसा से मिलता है। यहाँ नहीं हम  
क्षेत्र में महिलाएँ काफी आगे आई हैं, स्पेज में  
कल्पना चावला, यू.एस की अपराहटपति कमला हैरिस,  
सुषमा स्वराज, निर्मला सितारमण, इंदिरा गौंधी यह  
सभी महिलाएँ आगे आकर महिला सशक्तिकरण को  
प्रेरित करती हैं।

‘शत्रु नार्थस्तु पृथ्वीं रंमंते तत्र देवता’

वस्तुतः सशक्तिकरण का अधिकार ही सत्ता प्रतिकारकों  
में महिलाओं की साझेदारी से है। यह दःख की बात है  
आज भी लोक सभा और राज्य सभा में महिलाओं की  
हिस्सेदारी 20 प्रतिशत से ज्यादा की नहीं है, जबकि  
आवृद्धि में उनकी संख्या पचास प्रतिशत है।

एक स्त्रियों को वस्तुनिष्ठ तौर पर ऐसी सुविधाएँ  
दी जाएं जिनके महारों वे अपने व्यावित्त को स्वेच्छा  
से निर्माण कर सकें। उनके शतारथ, शिक्षा और  
आजिविका के लिए अधिक से अधिक सहायता मिलती  
वे अपनी मूलनशीलता से क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती  
हैं। अपनी ही उनकी शक्त की समस्या यह है कि उनके  
व्यावित्त पर पुरुष वर्चस्व के कारण जो वृत्रिम सामाजिक  
व्यावित्त आरोपित है, उसे वे तो पूरी तरह अपनी  
आप को बचा नहीं पा रही हैं। आवश्यकता इस  
बात की है कि इसे उस मुस्ती को उतार फेंके, जो  
उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध पहनाया गया और बाद  
में वे ही किसी स्वाभाविक समझने लगीं।

अतः इस मानसिकता से मुक्ति लक्ष्मी है, तभी  
सशक्तिकरण वास्तविक रूप में दिरवगा। आवश्यकता  
इस बात की है कि इसे ऐसी परिवेश और सहायता  
मिले, जिससे उसका उत्थान सहजता से हो सके।

50

## नैतिक मूल्य और आवश्यकता

नैतिक मूल्य जीवन के वाँ आधार होते हैं जिमपर हमारे समाज की गाँठी आगे बढ़ती हुई नजर आती है।

कुछ आधारभूत गुण जैसे निष्ठता, आदर, सम्मान, सुदृढ़ता आदि हमारे जीवन को सही दिशा देने में सकार है।

नैतिक मूल्य हमारे समाज एवं शिक्षा का अभिन्न भाग है। शिक्षा के पाठ्यक्रम में नैतिक मूल्यों का होना ना सिर्फ आज की आवश्यकता है परंतु सामाजिक कल्याण का एक भाग है।

अ सोकरेटस, प्लेटो, चारक, राजा राममोहन राँय, गाँधीजी, स्वामी विवेकानंद सभी धार्मिक एवं सामाजिक गुरु हमेशा नैतिक मूल्यों के रास्त पर चलने का उपदेश देते आए हैं। चाहे वो गौतम बुद्ध की पिताकाएँ हों (अच्छमार्ग) महावीर स्वामी के मार्ग, प्रफेट मोहम्मद की कुराण शरीफ या कृष्णवणी श्रीमद् भगवद्गीता, सभी धर्मों में एक गुण समान है कि वे हमेशा अपनी अनुयायी को सच्ये और इमानदारी के मार्ग में चलने के उपदेश देते हैं। और किसी को झी किसी प्रकार के दुःख देने को अपराध मानते हैं।

आज विश्व नैतिक मूल्यों के अभाव में गुजर रहा है। जिहाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, वैद्विमान, धोखाधड़ी का तो चारों ओर बोल-बाला है और लोग इसे बड़ आसानी से अपना रहे हैं। धरतू ठिंसा तो जैसे कोई आम बात हो। सभी को लगता है जब तक किसी को रिश्त ना दो अरकारी दफतर में कोई काम आगे नहीं बज्ञा। अलग-अलग धर्म के अनुयायी केवल अपनी धर्म से मान्ये रखते हैं और इसी में सांप्रदायिकता को बढ़ाती हुई है, जैसे बालरी मस्जिद - राम - मंदिर का मामला। अफगानिस्तान में आतं किये तात्त्वान ने बंदूक-राज फैला कर वहाँ के मानव अधिकारी को शीटा कर दिया है। अबको केवल दौलत

कमाने से मतलब है उसके तरीके से कोई नता नहीं।  
आज अपने जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए लोग  
गलत कार्यों में हाँसते खचल जा रहे हैं।  
स्वतन्त्रकारी तो जैसे कोई आम चीज़ हो चुकी है  
सोने की हो, चरस-गॉर्ज की या फिर मानव की ही  
बर्ताने की हो।

समाज के इस रूप से विकास के लिए और  
आज भी ईशानियत को बरकरार रखने के लिए  
आवश्यकता है नैतिक मूल्यों की। जो हमें सर्वप्रथम  
अपने परिवार और तत्पश्चात् शिक्षा और समाज  
एवं धर्म से ग्रहण करने की आवश्यकता है तभी हम  
सच्चाई, इमानदारी, भाईचारा, निष्ठापूर्ण मार्ग पर  
चल सकेंगे।

20

III  
1  
राजनीति से जुड़े होते मूल्य

आधुनिक समाज और सामाजिक चिंतन राजनीति द्वारा प्रभावित  
ही नहीं है बल्कि राजनीति प्रधान भी बन गए हैं।  
महात्मा गाँधी युगद्रष्टा थे। उन्होंने राजनीति को मूल्य आधारित  
तर्कों का प्रयोग किया, उस प्रयोग में सफल हुए और इस प्रकार  
एक नवीन जीवन-दृष्टि प्रदान की। आज हर स्तर पर मूल्यहीनता  
दिलवाई पड़ रही है। समाज का हर वर्ग इससे पीड़ित है।

राजनीति में नैतिक मूल्यों के ढास का सबसे बड़ा कारण  
युद्ध अथवा आंतरिक विद्रोह होता है। युद्ध के समय साथ  
महत्वपूर्ण होता है साहस नहीं। अपने साम्राज्य के विस्तार  
के लिए आक्रमणकारी शक्ति की महत्वाकांक्षा और युद्ध की बाँटो।  
राजनीति में अवमूल्यन को दर्शाती है।

महाकावे तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि जो  
नरेश अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझकर चतुर्मुखी अङ्गनते  
का प्रयत्न नहीं करता, वह नरेश का आगी होता है।  
पौराणिकी के विचारों से...

नरेश जपना प्रजा का पुत्र के समान समझकर चतुर्मुखी अङ्गति का प्रयत्न नहीं करता, वह नरक का प्राणी होता है।

प्रौद्योगिकी के विकास ने औद्योगीकरण और नगरीकरण की नई बुलन्दियाँ पर पहुँचाया जिससे राज्य के कार्य में वृद्धि हुई है। आर्थिक विकास ने लोभ और सुख-प्राप्ति का वातावरण उत्पन्न किया। इस वातावरण ने राजनीति को प्रष्ट किया।

जीवन के हर क्षेत्र में कानून निर्माण एवं निश्चय की आवश्यकता होने से असीमित अधिकार का पाकर शासक और प्रशासक दोनों ब्रह्म हुए। आज आर्थिक शक्ति के आधार पर ही

राष्ट्र शक्तिशाली बन सकते हैं। अतः राष्ट्रीय आय में वृद्धि के प्रयत्नों को जारी रखना आवश्यक है। यह ही आदर्श है

कि इस दिशा में राज्य सक्रिय भूमिका निभाएँ। अतः

राजनीतिक प्रशासकों एवं लोक सेवकों में सच्चरित्रता और ईमानदारी को प्रोत्साहित करने का एक ही उपाय है कि

प्रशासन में पारदर्शिता अपनाई जाए।

जनता में भ्रष्टाचार, न्यायपालिका की सक्रियता और सीडीया की मदद से भ्रष्टाचार के मामलों को कम किया जा सकता है।

मूल्यों की अपेक्षा करने वाला राजनीतिज्ञ केवल निजी लोभ-हानि पर विचार करता है।

राजनीति में नैतिक मूल्यों के अवमूल्यन में वृद्धि शक्ति कोलपुता, शक्तिवाद जीवन तथा धार्मिक आस्था में कमी के कारण आया है।

$$\frac{80}{100}$$

















































































































































































































































































































